

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 26, 2012

S.O.212.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification No. F.6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1P, dated 09.03.2010, namely :-

AMENDMENTS

In the table of the said notification,-

(i) The existing clause (A) and entries thereto of serial number 1 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(A) Two wheeled vehicles having engine capacity	
(i)	Upto 125cc.	4% of the cost of the vehicle
(ii)	More than 125cc.	6% of the cost of the vehicle

"

(ii) The existing clause (C) and entries thereto of serial number 1 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(C) Four wheeled vehicles With seating capacity up to 10 including driver	
(i)	Cost of vehicle up to Rs. 2,50,000	2.5% of the cost of the vehicle
(ii)	Cost of vehicle more than Rs. 2,50,000 and up to Rs. 6,00,000	5% of the cost of the vehicle
(iii)	Cost of vehicle more than Rs. 6,00,000	8% of the cost of the vehicle

"

[No. F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2012/1Q]
By Order of the Governor.

Mahendra Soni,
Deputy Secretary to Government.

**परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012**

एस.ओ.212.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1पी, दिनांक 09.03.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के विद्यमान खण्ड (क) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहन	
(i) 125 सीसी तक	यान की लागत का 4%
(ii) 125 सीसी से अधिक	यान की लागत का 6%

(ii) क्रम संख्यांक 1 के विद्यमान खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (ग) चारपहिया यान	
डाइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की सीट क्षमता वाले-	
(i) 2,50,000/- रुपये तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.5%
(ii) 2,50,000/- रुपये से अधिक और 6,00,000/- रुपये तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 5%
(iii) 6,00,000/- रुपये से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 8%

[एफ.6(179)परि/कर/मु0/2012/1क्यू]
राज्यपाल के आदेश से,

**महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव**